



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21022023-243775
CG-DL-E-21022023-243775

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 21, 2023/फाल्गुन 2, 1944

No. 51]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 2023/PHALGUNA 2, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2023

(मामला सं. एडी (एसी)-01/2023

विषय : चीन जन.गण. के मूल या वहां से निर्यातित "फिशिंग नेट" के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क में मलेशिया के माध्यम से कथित प्रवंचना के संबंध में प्रवंचना-रोधी जांच की शुरूआत।

1. फा. संख्या 7/01/2023- डीजीटीआर.—मै. इंडियन फिशनेट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (ईएफएमए) (जिसे यहां 'आवेदक' या 'आवेदक एसोसिएशन' कहा गया है) द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां "अधिनियम" कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे यहां "नियमावली" कहा गया है) के अनुसरण में, घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष यह दावा करते हुए एक आवेदन दायर किया गया है कि चीन जन.गण. (जिसे यहां "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फिशिंग नेट" (जिसे यहां "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" कहा गया है) के आयातों पर लागू इन पाटनरोधी शुल्कों की मलेशिया से 'फिशिंग नेट' (जिसे यहां "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूआई" भी कहा गया है) के निर्यातों द्वारा प्रवंचना की जा रही है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध वस्तुओं पर विद्यमान पाटनरोधी शुल्क की चीन में उत्पादकों द्वारा मलेशिया के जरिए भारत को निर्यात करने के द्वारा प्रवर्चना की जा रही है और शुल्कों को लागू करने के बाद से व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन हुआ है और यह परिवर्तन उपचारात्मक उपायों के प्रभाव को भी कम कर रहा है।

क. पृष्ठभूमि

3. चीन जन.गण. और बांग्लादेश से 'फिशिंग नेट' के आयातों के संबंध में मूल जांच प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना सं. 14/44/2016-डीजीएडी दिनांक 31 मार्च, 2017 के अनुसार आरंभ की गई थी। संबद्ध देशों पर प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना सं. 14/44/2016-डीजीएडी दिनांक 05 मार्च, 2018 के अनुसार अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें निश्चयात्मक पाटन रोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश की गई थी। अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा की गई इस सिफारिश के आधार पर, केंद्रीय सरकार द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 20/2018- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 10 अप्रैल, 2018 के अनुसार निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्कों को लागू किया गया था। इसके अलावा, केंद्रीय सरकार द्वारा सीमा-शुल्क अधिसूचना सं. 01/2023- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 06 जनवरी, 2023 के अनुसार चीन जन.गण. पर लागू वर्तमान शुल्कों को 09 जुलाई, 2023 तक बढ़ाया गया।

ख. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद "फिशिंग नेट" है। मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

"7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "फिश नेट" या "फिशिंग नेट" हैं।

8. फिशिंग नेट एक ग्रिड जैसी संरचना में बुने हुए फाइबर से बने उपकरण हैं। फिशिंग नेट सामान्यतः अपेक्षाकृत पतले धागे को बांध कर बनाई गई जाली होती है। नाइलोन की तकनीकी विशेषता के कारण, नाइलोन फिशनेट की खपत पूरे विश्व में फिशनेट की कुल खपत का 65-70% से अधिक ठहरती है। वर्तमान याचिका में केवल नाइलोन फिशिंग नेट या तो 100% या मिश्रित, को शामिल किया गया है। मिश्रित यार्न के मामले में, कार्यक्षेत्र में भार द्वारा 50% या अधिक भार के नाइलोन को अन्तर्निहित करने वाले फिशिंग नेट शामिल होते हैं।

9. उत्पाद का समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण नहीं किया गया है। डीजीसीआई एंड एस द्वारा हमें उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार, उत्पाद को एचएस कोड 560811 10 के अंतर्गत आयात किया जा रहा है। तथापि, यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से उत्पाद के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

10. इसके अलावा, पीयूसी के मोनोफिलामेंट यार्न नेट और मल्टीफिलामेंट यार्न नेट में वर्गीकृत किया जा सकता है। मोनोफिलामेंट नेट का उत्पादन मोनोफिलामेंट यार्न का प्रयोग करते हुए किया जाता है, मल्टीफिलामेंट नेट के मामले में, मल्टीफिलामेंट यार्न का प्रयोग किया जाता है और यार्न को पहले मरोड़ा जाता है। तत्पश्चात हालांकि, उत्पादन प्रक्रिया समान है और इसमें बाना और ताना गांठ के साथ नेटिंग, हीट स्ट्रेचिंग, रंगाई, एजिंग, सामान्यीकरण, निरीक्षण और पैकिंग शामिल है, मोनोफिलामेंट नेट और मल्टीफिलामेंट नेट का प्रयोग फिशिंग के बिल्कुल अलग-अलग क्षेत्रों में किया जाता है। मोनोफिलामेंट नेट का प्रयोग मुख्य रूप से अंतर्देशीय/नदी/झील में फिशिंग के लिए किया जाता है और इसकी पारदर्शिता के कारण मल्टीफिलामेंट नेट की तुलना में इसकी पकड़ने की क्षमता बेहतर होती है। इस नेट का जीवन अधिकतम 6 महीने होता है और एक बार क्षतिग्रस्त हो जाने पर नेट की मरम्मत नहीं की जा सकती। इसके विपरीत बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए तटीय/गहरे समुद्र में फिशिंग के लिए मल्टीफिलामेंट नेट का प्रयोग किया जाता है। मल्टीफिलामेंट नेट का जीवन 2 से 2.5 वर्ष की अवधि का होता है और क्षतिग्रस्त हो जाने पर इस नेट की मरम्मत की जा सकती है।

11. जहां तक एचडीपीई फिशिंग नेटों और कृषि नेटों का संबंध है, यह नोट किया गया है कि वर्तमान जांच नाइलोन फिशिंग नेट- चाहे वे 100% हो या भार द्वारा 50% या अधिक नाइलोन को अंतर्विष्ट करने वाले मिश्रित नेट हों- के पाटन के विरुद्ध है। अन्य सभी प्रकार के फिशिंग नेट या अन्य नेट वर्तमान जांच के दायरे से बाहर हैं।"

5. विचाराधीन उत्पाद को उपशीर्ष 56081110 के अंतर्गत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 56 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से संबद्ध जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

ग. विचाराधीन उत्पाद (पीयूआई)

6. विचाराधीन उत्पाद, जो कथित रूप से चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना कर रहे हैं, मलेशिया से निर्यातित “फिशिंग नेट” हैं, जिन्हें “विचाराधीन उत्पाद” या “पीयूआई” भी कहा गया है, पीयूआई को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के उपशीर्ष 56081110 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

घ. घरेलू उद्योग

7. आवेदन को आवेदक एसोसिएशन के सदस्यों की ओर से घरेलू उत्पादक एसोसिएशन मै. इंडियन फिशनेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएफएमए) द्वारा दायर किया गया है। संपूर्ण उद्योग अत्यधिक विखंडित है और इसमें बड़ी संख्या में घरेलू उत्पादक शामिल हैं। आवेदन दायर करने के लिए उत्पादन, बिक्री कीमत के संदर्भ में अपेक्षित सूचना 11 घरेलू उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराई गई है, अर्थात:

- i. वासंथम इंडस्ट्रियल सेंटर
- ii. बालिगा
- iii. श्रीमा फिलामेंट प्राइवेट लिमिटेड
- iv. ई.टी. पेरुमल फिशनेट
- v. बी एंड बी नेट्स
- vi. कासिम नेट्स
- vii. स्वास्तिक फिलामेंट प्राइवेट लिमिटेड
- viii. ग्लोबल फिशनेट वर्क्स
- ix. वी फिशनेट
- x. इंडो फिशनेट
- xi. जसनेट

ऊपर उल्लिखित घरेलू उत्पादक, जिन्होंने वर्तमान आवेदन के लिए अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराई है, घरेलू उद्योग हैं। रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि पाटनरोधी नियमावली के संदर्भ में आवेदन “घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से” किया गया है।

ड. प्रवंचना किए जा रहे वर्तमान उपाय

8. वर्तमान पाटनरोधी उपायों की अधिसूचना सं. 14/44/2016- डीजीएडी, दिनांक 05 मार्च, 2018 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा चीन जन.गण. और बांग्लादेश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर सिफारिश की गई थी और सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 20/2018- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 10 अप्रैल, 2018 के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा पाटनरोधी शुल्क लागू किए गए थे। अधिसूचना सं. 01/2023- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 6 जनवरी, 2023 के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा चीन के लिए पीयूसी पर वर्तमान उपायों का विस्तार किया गया था और ये 09 जुलाई, 2023 तक प्रवृत्त हैं।

च. कथित प्रवंचना का आधार

9. उक्त आवेदन को वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की कथित प्रवंचना कर रहे मलेशिया से पीयूआई पर अधिसूचना सं. 20/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 10 अप्रैल, 2018 के अनुसार पीयूसी पर लागू वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के विस्तार की मांग करते हुए प्रवंचना रोधी जांच हेतु दायर किया गया है। आवेदक ने प्रवंचना रोधी जांच की मांग करते हुए कारण/साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ ये शामिल हैं:

क) व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन जिसके द्वारा चीन जन.गण. से आयातों में गिरावट आई है और चीन जन.गण. पर पाटनरोधी शुल्कों को लागू करने के बाद से मलेशिया से आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

ख) अनुरोध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य शामिल हैं कि विचाराधीन उत्पाद की कीमतें पाटित हैं।

ग) पीयूआई के आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।

10. आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन हुआ है जिसमें मलेशिया से पीयूआई के आयातों में किसी पर्याप्त कारण या आर्थिक औचित्य के बिना, चीन जन.गण. पर पाटन रोधी शुल्कों को लागू करने के बाद से महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जिसके द्वारा चीन जन.गण. से पीयूसी के आयातों पर लागू विद्यमान पाटनरोधी उपायों के उपचारात्मक प्रभावों में कमी आई है।

छ. जांच शुरुआत

11. मलेशिया से पीयूआई के आयातों के जरिए चीन जन.गण. से पीयूसी के आयातों पर लागू विद्यमान पाटनरोधी उपाय की प्रवंचना का दावा करते हुए, आवेदक द्वारा दायर आवेदन के आधार पर और वर्तमान एडी उपाय के उपचारात्मक प्रभाव को कम करने वाले व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन पर संतुष्ट होने के पश्चात प्राधिकारी नियमावली के नियम 27 (3) के अनुसरण में इस जांच की शुरुआत की तारीख से चीन से आयातित पीयूसी के आयातों पर विद्यमान पाटनरोधी शुल्क का मलेशिया से आयातित पीयूआई तक विस्तार पर विचार करने के लिए अधिनियम की धारा 9क (1क) और नियमावली के नियम 25 और 26 के अनुसरण में एतद द्वारा एक प्रवंचनारोधी जांच की शुरुआत करते हैं।

12. प्राधिकारी इस पुनरीक्षा के पूरा होने तक, मलेशिया से पीयूआई अर्थात् फिशिंग नेट के सभी आयातों पर अंतिम आकलन की सिफारिश करते हैं।

ज. जांच की अवधि (पीओआई)

13. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्तूबर, 2021- 30 सितंबर, 2022 (12 महीने) है। क्षति जांच अवधि में पूर्ववर्ती वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और पीओआई शामिल होंगे।

झ. प्रवंचनाकारी देश

14. प्रवंचना रोधी जांच में शामिल देश मलेशिया (प्रवंचनाकारी देश) है।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

15. कोविड महामारी से उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों के मद्देनजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा खोजे जाने योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सेल फार्मेट में हो।

16. संबद्ध देशों से ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी ई-मेल पतों पर नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

18. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार के लिए अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने हेतु उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

19. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना और प्रश्नावली प्रारूप, मौखिक सुनवाई के नोटिस, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी अन्य सूचनाओं जो समय-समय पर जारी की जा सकती हैं के संबंध में अवगत रहने के लिए वे डीजीटीआर की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् (<https://dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें। यह सुनिश्चित करेगा कि संबद्ध जांच से संबंधित सभी पक्षकार संबंध जांच से संबंधित प्रगति और सूचना से भली-भांति अवगत रहें।

ट. समय-सीमा

20. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों (30 दिनों) के भीतर ईमेल पत्तों dd15-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in पर adg13-dgtr@gov.in और adv11-dgtr@gov.in को प्रति प्रेषित करने के साथ ईमेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार, रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार नोटिसों के अनुसार उसका एक अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसका पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

23. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

24. “गोपनीय” या “अगोपनीय” अनुरोध पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर “गोपनीय” या “अगोपनीय” अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

25. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

26. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। हितबद्ध पक्षकार दस्तावेज के अगोपनीय पाठ को प्राप्त करने के सात (7) दिनों के भीतर उनके गोपनीयता के दावों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

27. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप से अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

28. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

29. हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को ई-मेल कर दें ताकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं रहेगी।

ड. असहयोग

30. यदि कोई हितवद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितवद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2023

(Case No. AD(AC)-01/2023)

Subject : Initiation of Anti-Circumvention Investigation concerning alleged circumvention via Malaysia of anti-dumping duty imposed on imports of “Fishing Net” originating in or exported from China PR.

1. **F. No. 7/01/2023-DGTR.**—M/s Indian Fishnet Manufacturers Association (IFMA) (hereinafter referred to as the ‘applicant’ or ‘applicant association’) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Rules”), contending that these anti-dumping duties imposed on the imports of “Fishing Net” (hereinafter referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”) are being circumvented by way of fishing net exported from Malaysia (hereinafter also referred to as “Product under Investigation” or “PUI”).
2. The applicant has alleged that the existing anti-dumping duty on the subject goods is being circumvented by producers in China by making export to India through Malaysia and there has been a change in pattern of trade since imposition of duties, and such change is also undermining the effect of remedial measures.

A. Background

3. The original investigation concerning the imports of ‘fishing net’ from China PR and Bangladesh was initiated by the Authority vide Notification No. 14/44/2016-DGAD, dated 31st March 2017. The final findings notification was issued by the Authority on the subject countries vide Notification No. 14/44/2016-DGAD, dated 05th March 2018, recommending therein the imposition of definitive anti-dumping duty. On the basis of this recommendation made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Customs Notification No. 20/2018-Customs (ADD), dated 10th April 2018. Further, the Central Government vide Customs Notification No. 01/2023-Customs (ADD) dated 06th January 2023 extended the existing duties imposed on China PR till 09th July 2023.

B. Produce Under Consideration

4. The product under consideration in the present petition is “fishing net”. The product under consideration defined in the original investigation was as under:

“7. The product under consideration in the present investigation is “fishnet” or “fishing net”.

8. fishing nets are devices made from fibers woven in a grid-like structure. fishing nets are usually meshes formed by knotting a relatively thin thread. Due to the technical characteristics of nylon, nylon fishnet constitutes more than 65-70% of the total fishnet consumption world over. Present petition includes nylon fishing nets only – whether 100% or blended. In case of blended, scope includes fishing nets containing 50% or more nylon by weight.

9. The product does not have dedicated customs classification. The product is being imported under HS code 560811 10 as per the data made available to us by DGCI&S. However, customs classification is indicative only and in no way it is binding upon the product scope.

10. The PUC can further be classified into monofilament yarn net and multifilament yarn net. Monofilament net is produced using monofilament yarn, in case of multifilament net, multifilament yarn is used, and the yarn is first twisted. Thereafter, even though the production process is the same and involves netting with weft & warp knotting, heat stretching, dyeing, aging, normalizing, inspection, and packing; the use of monofilament net and multifilament net is in totally different areas in fishing. Monofilament nets are largely used for inland/river/lake fishing and the catches are better due to its transparency as compared to multifilament net. The life of net is however maximum of 6 months and the net cannot be repaired once damaged. Multifilament nets, on the contrary, are used for coastal/deep sea fishing to catch large fish. Life of multifilament nets is in the region of 2 to 2.5 years and the nets can be repaired when damaged.

11. As regards HDPE fishing nets and agriculture nets, it is noted that the present investigation is against dumping of nylon fishing nets – whether 100% or blended nets containing 50% or more nylon by weight. All other kinds of fishing nets or other nets are outside the scope of the present investigation.”

5. The product under consideration is classified under Chapter 56 of the Customs Tariff Act, 1975 under the subheading 56081110. The customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the subject investigation.

C. Product under Investigation [PUI]

6. The product under investigation which are allegedly circumventing the anti-dumping duty in force on imports of product under consideration from China PR is “fishing net” exported from Malaysia also referred to as “Product under Investigation” or “PUI”. PUI is classified under subheading 56081110 of the Customs Tariff Act. However, customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of the investigations.

D. Domestic Industry

7. The application has been filed by M/s Indian Fishnet Manufacturers Association (IFMA), the association of domestic producers on behalf of the members of the applicant association. The entire industry is highly fragmented and consists of a large number of domestic producers. The requisite information in terms of production, selling price for filing the application has been provided by 11 domestic producers, namely:

- i. Vasantham Industrial Centre
- ii. Baliga
- iii. Sreema Filaments Private Limited
- iv. E.T. Perumal Fishnet
- v. B & B Nets
- vi. Kassim Nets
- vii. Swastik Filaments Private Limited
- viii. Global Fishnet works
- ix. Vee Fishnets
- x. Indo Fishnets
- xi. Jasnets

The above-mentioned domestic producers who have provided the requisite information for the present application constitute domestic industry. On the basis of information available on record, the Authority is satisfied that the application has been made ‘by or on behalf of the domestic industry’ in terms of the Anti-dumping Rules.

E. Existing Measures being Circumvented

8. The existing anti-dumping measures were recommended on imports of subject goods from China PR and Bangladesh by the Designated Authority vide Notification No. 14/44/2016-DGAD, dated 05th March 2018 and anti-dumping duties were imposed by the Ministry of Finance vide Customs Notification No. 20/2018-Customs (ADD), dated 10th April 2018. The existing measure on PUC was extended for China PR by the Ministry of Finance vide Notification No. 01/2023-Customs (ADD) dated 06th January 2023 and is in force till 09th July 2023.

F. Grounds of Alleged Circumvention

9. The application for anti-circumvention investigation has been filed seeking extension of existing anti-dumping duty levied on PUC vide Notification No. 20/2018-Customs (ADD), dated 10th April 2018 to PUI from Malaysia allegedly circumventing the existing anti-dumping duty. The applicant has furnished reasons/evidence for seeking anti-circumvention investigation which, *interalia*, includes:

- a. Change in pattern of trade whereby imports from China PR have declined and imports from Malaysia have increased significantly after the imposition of anti-dumping duties on China PR.
 - b. The request contains sufficient *prima facie* evidence that the prices of the product under investigation are dumped.
 - c. The imports of PUI are undercutting the prices of the domestic industry.
10. The Authority on the basis of *prima facie* evidence provided by the applicant notes that there is a change in pattern of trade wherein imports of PUI from Malaysia have increased significantly since the imposition of anti-dumping duties on China PR without any sufficient cause or economic justification thereby undermining the remedial effects of the existing anti-dumping measure imposed on imports of PUC from China PR.

G. Initiation

11. On the basis of the application filed by the applicant contending circumvention of existing anti-dumping measure imposed on imports of PUC from China PR by imports of PUI from Malaysia and having satisfied itself on the change in pattern of trade undermining the remedial effect of the existing AD measure, the Authority hereby initiates an anti-circumvention investigation in accordance with Section 9A (1A) of the Act and Rules 25 & 26 of the Rules to consider extension of existing anti-dumping duty on imports of PUC imported from China PR to the PUI imported from Malaysia from the date of initiation of this investigation in accordance with Rule 27 (3) of the Rules.
12. The Authority recommends provisional assessment on all imports of the PUI, i.e., fishing nets from Malaysia till the completion of this review.

H. Period of Investigation (POI)

13. The period of investigation (POI) for the present investigation as 1st October, 2021– 30th September 2022 (12 Months). The injury investigation period will cover the preceding years 2019 – 20, 2020 – 21, 2021 – 22 and the POI.

I. Circumventing country

14. The country involved in the anti- circumvention investigation is Malaysia (circumventing country).

J. Submission of information

15. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in, and dd15-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.
16. The known producers/exporters, their government through Embassies in India, importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
18. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.
19. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (<https://dgtr.gov.in/>) to stay apprised with further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information. This will ensure that all interested parties to the subject investigation remain well aware of the progress and information pertaining to the subject investigation.

K. Time-Limit

20. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses dd15-dgtr@gov.in, and jd13-dgtr@gov.in with a copy to adg13-dgtr@gov.in and adv11-dgtr@gov.in, within 30 days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
21. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

L. Submission of information on confidential basis

22. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
23. The parties making any submission (including appendices/annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
24. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
25. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
26. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within seven (7) days of receiving the non-confidential version of the document.
27. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
28. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. Inspection of Public File

29. A list of the interested parties will be uploaded on DGTR’s website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submission to all interested parties since the public file will not be accessible physically due to the ongoing global pandemic.

N. Non-cooperation

30. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority